

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

“प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023”

पीठासीन अधिकारी- अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
19 / 2023

दायर दिनांक
31.03.2023

निर्णय दिनांक
26.04.2023

अनवान

1. रतन पिता मोहन जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. कमला बाई पुत्री हेमा जाति लुहार आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. जीतु पुत्र भेरा जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नाराणी बाई पत्नि हेमा जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. परथु पिता उदा जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. प्रभूडी पत्नी मोहन जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. पारसी पुत्री मोहन जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. बसन्ती पुत्री मोहन जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. रामेश्वर पिता हेमा जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. बरदी पुत्री भेरा जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां हाल बबराना तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
10. शंकर पिता भेरा जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां हाल राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
11. सुन्दर पुत्री मोहन जाति लुहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. रामेश्वर पिता चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र उचनारखुर्द में पेश हुई। हाजिर वकील प्रार्थी ने बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है, वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा उचनारकलां पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 1215/511, 1314/444, 429, 430, 431, 432, 433, 434 कुल किता 8 कुल रकबा 0.51 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 - 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 95 में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काशतकार है। प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रूपाखेडी पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत् 2074-2077 के खाता संख्या 95 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1215/511, 1314/444, 429, 430, 431, 432, 433, 434 कुल किता 8 कुल रकबा 0.51 हैक्ट0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क प्रस मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।



Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन